

यह निरीक्षण प्रतिवेदन वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी के माह 9/2013 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना ले0प0 एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.08.2017 से 19.08.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री सुनील डंग, पर्यवेक्षक श्री आनन्द कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2013 से 25.09.2013 तक श्री - वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 08/2013 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 08/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 09/2013 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 09/2013 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
3. (ii) (अ) राजस्व का विवरण: विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है

:

वर्ष	अर्जितराजस्व (रु लाख में)
2012-13	0.94270
2013-14	1.35314
2014-15	1.30380
2015-16	1.06602
2017-18	1.20290

(ii)(ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		बचत (-) `	
	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर
2012-13	5.00	84.14	4.99698	78.876	0.00302	5.31124
2013-14	2.70	100.66	2.65785	99.10313	0.04215	1.55687
2014-15	1.65	110.36	1.64372	107.0292	0.00628	3.3308
2015-16	1.57	110.8690 4	1.56611	110.6870 9	0.00389	0.18195
2016-17	2.10	134.4874 1	2.08970	133.5001 9	0.0103	0.98722

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	बचत	अ ध क्य

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुतः जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2014, 03/2016 को वस्तुतः जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2014, 03/2016 को वस्तुतः जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: लागू नहीं है।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग - 2 ब

प्रस्तर-01- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर ₹18.08 करोड़ की वसूली लम्बित रहना।

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय के अंतर्गत पाँच वन प्रभागों (हल्द्वानी वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर वन प्रभाग) का रॉयल्टी, कृषि लीज, पी डी, अवध वस्तार, वलम्ब शुल्क आदि का उत्तर प्रदेश वन निगम पर ₹86793889 व उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर ₹9,40,46,593 कुल बकाया ₹18,08,40,482 (₹8,67,93,889 + ₹9,40,46,593) दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत किए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उत्तर प्रदेश वन निगम के रॉयल्टी, कृषि लीज, पी डी, अवध वस्तार, वलम्ब शुल्क की धनराशि वसूली हेतु उच्च स्तर शासन से कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद वन विकास निगम के वरुद्ध अपेक्षित बकाया वसूली हेतु समय-2 पर वन वभाग तथा वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर वसूली हेतु कार्यवाही के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अतः ₹180840482/- की लम्बित वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर- 02 वन वभाग द्वारा 5907.6835 हेक्टेयर अतिक्रम भूम को अपने कब्जे में न लया जाना।

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वृत्त के अंतर्गत भूम अतिक्रमण संबन्धित मामले न्यायालय में वचाराधीन थे जिनमें से 68.63 हेक्टेयर भूम के मामलों में न्यायालय द्वारा वभाग के पक्ष में फैसला दिया गया, जो निम्नानुसार है।

1. कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत 0.01 हेक्टेयर भूम पर छकाता रेंज सुल्तान नगरी ब्लॉक में वर्ष 1999 से पूर्व अवैध कब्जा कया गया था। जिसके लए नगर मैजिस्ट्रेट हल्द्वानी के न्यायालय में दिनांक 21.11.2007 को फैसला वभाग के पक्ष में दिया गया।
2. प्रभागीय वना धकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत 66.5 हेक्टेयर भूम बरहनी रेंज महोला ब्लॉक में वर्ष 1975 से पूर्व अतिक्रमण थी। जिसके संबंध में न्यायालय से बेदखली आदेश पारित कर दिया गया। एक अन्य प्रकरण 2.12 हेक्टेयर हल्द्वानी रेंज एच एन वदयालय तल्ली हल्द्वानी में वर्ष 1979 से पूर्व अतिक्रमण थी। जिसके संबंध में जिला जज नैनीताल द्वारा अपील का निर्णय वभाग के पक्ष में दिया गया।

उक्त मामलो में न्यायालय द्वारा वभाग के पक्ष में फैसला दिये जाने के पश्चात भी 68.63 हेक्टेयर भूम पर वभाग द्वारा कब्जा नहीं लया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षा जाँच में यह भी पाया गया कि कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के अंतर्गत 1756 अतिक्रमणकारियों द्वारा 275.8954 हेक्टेयर भूम पर अतिक्रमण कया गया जबकि वभाग द्वारा 269.2989 हेक्टेयर भूम के लए 321 प्रकरण न्यायालय में दर्ज कराये गए एवं कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत 6667 अतिक्रमणकारियों द्वारा 5982.08 हेक्टेयर भूम पर अतिक्रमण कया गया है जबकि वभाग द्वारा 149.623 हेक्टेयर भूम के लए 110 प्रकरण न्यायालय में दर्ज कए गए हैं।

उक्त अतिक्रमण 5839.0535 हेक्टेयर (रामनगर वन प्रभाग में 6.5965 हेक्टेयर एवं तराई पूर्वी वन प्रभाग में 5832.457 हेक्टेयर) वन भूम पर वभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः 5907.6835 हेक्टेयर (0.01 + 66.50 + 2.12 + 6.5965 + 5832.457) भूम पर वभाग की उदासीनता के परिणाम स्वरूप अतिक्रमण हुआ।

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-51/2017-18

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क न्यायालय का निर्णय वभाग के पक्ष में होने के बाद भूम खाली करने का प्रयास निरंतर कया जा रहा है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अतिक्रमण भूम पर अतिक्रमण हटाने का प्रयास करने का साक्ष्य उपलब्ध कराने में वभाग वफल रहा।

अतः 5907.6835 हेक्टेयर भूम पर अतिक्रमण का प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-03 अ अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत की धनराश जमा न कया जाना ₹6500/-

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी के अ अधिकारियों/कर्मचारियों की जमानत जमा से संबन्धित अभलेखों की जांच में पाया गया क निम्न ल खत अ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराश जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराश(₹)	जमा धनराश(₹)	अवशेष धनराश(₹)
1.	श्री सतीश चन्द्र लोशाली,	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	5000	1000	4000
2.	श्रीमती प्रभा तिवारी	प्रधान सहायक	2000	1500	500
3.	श्री संजय सनवाल	वरिष्ठ सहायक	1500	1000	500
4.	श्री दीपक डसीला	वरिष्ठ सहायक	1500	1000	500
5.	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	1500	1000	500
6.	श्रीमती नि ध गोसाई	वरिष्ठ सहायक	1500	1000	500
योग					6500

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क संबन्धित कर्मचारियों की प्रोन्नति होने के कारण जमानत जमा की राश अवशेष है। इन कर्मचारियों से कम जमा की गयी जमानत की धनराश जमा करवाने की कार्यवाही की जा रही है। जमा होने पर लेखापरीक्षा को सूचित कया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चा अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	शून्य			

व्यय से संबंधित: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
83/2013-14	-	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य
- (2) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत अनियमितताएं: लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री विवेक पाण्डेय	वन संरक्षक
2.	श्री सुरेन्द्र मेहरा	वन संरक्षक
3.	श्री पराग मधुकर धकाते	वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-51/2017-18

SR NO of Register	Date of Report	Vehicle No.	Type of vehicle	Commodity if mention	Penalty imposed	E-3 No & Date	Penalty liquidated	difference
2015-16								
	09.04.15	UK-16 2522	Tractor	Sand	6000	E-3 No 47 08.06.15	50000	44000
4	05.08.15	UK-16 2680	Tractor	Not mentioned	10000	83/334 10.11.15	50000	40000
5	05.08.15	AF	Tractor	Not mentioned	12000	84/334 23.01.16	50000	38000
6	06.08.15	UK-07 AS/6405	Tractor	Not mentioned	10000	27/344 01.03.16	50000	40000
7	06.08.15	AF	Tractor	-	10000	28/344 01.03.16	50000	40000
9	02.10.15	JH-06-B	Dumple	Sand	50000	68/334 21.10.15	2,00,000	150,000
10	02.10.15	HR-68A8525	Dumple	-	50000	69/334 21.10.15	2,00,000	150,000
11	02.10.15	UK-16 CA 0118	Truck	Sand	50000	70/334 21.10.15	1,00,000	50000
12	02.10.15	UK-07 CA-3748	Truck	Sand	50000	71/334 21.10.15	10000	50000
13	03.10.15	AF	Tractor	-	25000	72/334 21.10.15	50000	25000
14	05.10.15	AF	Tractor	Sand	25000	73/334	50000	25000
15	31.10.15	UK-07 CA 5886	Dumple	Sand	50000	74/334 02.11.15	2,00,000	150000
18	08.12.15	AF	Tractor	Sand	10000	95/334 08.12.15	50000	40000
19	06.02.16	UK-16/6068	Tractor	Sand	15000	07.02.16	50000	35000
20	06.02.16	AF	Tractor	Sand	15000	15/334 07.02.16	50000	35000
21	06.02.16	UK-16/2285	Tractor	Sand	15000	/334 07.02.16	50000	35000
22	13.02.16	UK-07 AX 7183	Tractor	Sand	15000	40/334 01.04.16	50000	35000
23	17.02.16	UK-16/7518	Tractor	Sand	10000	41/334 01.04.16	50000	40000

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-51/2017-18

24	01.03.16	UK-16/ 5712	Tractor	Sand	10000	/344 25.11.16	50000	40000
25	04.03.16	UK-07 BA/ 9448	Tractor	Sand	20000	29/344 07.03.16	50000	30000
26	04.03.16	UK- 16/7467	Tractor	Sand	20000	30/344 07.03.16	50000	30000
2016-17								
1	26.04.16	UK- 16/7466	Tractor	-	20000	E-3 50/344 02.05.16	50000	30000
2	16.05.16	UK-16/ 0740	Tractor	-	10000	52/344 18.05.16	50000	40000
3	17.05.16	UK-16/ 1091	Tractor	-	15000	53/344 18.05.16	50000	35000
4	17.05.16	UK-07 AT/ 5625	Tractor	-	15000	53/344 18.05.16	50000	35000
11	02.03.17	UK-16A/ 2327	Tractor	-	5000	5/349 02.03.201 7	15000	10000
12	02.03.17	UK-07 CA/768 6	Tractor	-	5000	6/349 06.03.17	15000	10000
								12,82,000